

**कार्य का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धरचूला में बलवाकोट
कांडा मोटर मार्ग लम्बाई 2.000 कि०मी०**

प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य

वर्तमान में ग्राम बलवाकोट, कांडा गांव की लगभग 5707 जनसंख्या को अपने दैनिक उपभोग की सामाजी प्राप्त करने के लिये 5.00 से 7.00 कि०मी० पैदल पहाड़ी विषम रास्तों से चलकर जाना पड़ता है क्योंकि उन गांवों को जोड़ने हेतु कोई मोटर मार्ग नहीं है। निकटस्थ मोटर मार्ग की दूरी 5 कि०मी० होने के कारण गांव में किसी के बिमार होने पर कठिन रास्तों से डोली या कंधे में मरीज को लाने तथा मोटर मार्ग से चिकित्सालय तक पहुंचने में अत्यन्त देरी होती है जिस कारण अनेक लोग हर रोज खतरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

यह क्षेत्र मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण पिछड़ा हुआ है। ग्रामिणों का मुख्य व्यावसाय खेती बाड़ी एवं भेड़पालन है। अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचने में ग्रामीणों को पहाड़ के फिसलन भरे रास्तों से जाने आने में प्रतिदिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के प्रमुख उपज राजमा, धान व जड़ी-बूटियां हैं जिन्हें बाजार में अच्छे दाम प्राप्त होते हैं, किन्तु मोटर मार्ग के अभाव में यह संभव नहीं हो पा रहा है।

इस मार्ग में आ रही न्यूनतम 1.850 हे० के हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त प्रस्तावित संरेखन के अलावा अन्य कोई सरलतम नार्ग नहीं होने के कारण इस संरेखन के अलावा अन्य किसी संरेखन में इससे कम वनभूमि एवं कम वृक्ष नहीं आ रहे हैं। मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 9.00 मी० ली गई है एवं 7.00 मी० में वृक्षों की गणना की गई है। मोटर मार्ग का भूगर्भिय सर्वेक्षण कर लिया गया है एवं उनके द्वारा मोटर मार्ग बनाया जाना उचित पाया गया है। इस मार्ग में कोई ऐतिहासिक भवन, राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र, धार्मिक भवन एवं कब्रिस्तान नहीं पड़ रहे हैं।

इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि होने से पहाड़ों से लोगों के पलायन को रोका जा सकेगा एवं पर्वतीय उपयोगी उत्पाद प्राप्त होंगे।

उक्त परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय जनता की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस मोटर मार्ग का बनाया जाना अति आवश्यक है। अतः कुल 1.850 हे० वनभूमि प्रत्यावर्तन के लिये यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सहायक अधियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

अन्तर्गत वन विभाग
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

अधिकारी अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)